

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधरी (पूर्व), मुंबई- 400096

टेलिफोन: 022-28294799 / 28294700 फ़ैक्स. 022-8291754

ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in वेब-साइट: www.seepz.gov

परिपत्र सं. 81/2015

सभी संबंधितों का ध्यान डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से प्रापण (प्रोक्योरमेंट) प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से संबंधित सेज़ नियमावली, 2005 के नियम 30(8) यथोसंशोधित में निहित उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है ।

इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगे यह स्पष्ट किया है कि:-

- (i) सेज़ यूनित को अपने फॉरेन एक्सचेंज एकाउंट से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटिए) सप्लायरों को भुगतान करने की अनुमति दी जाती है ।
- (ii) यदि डीटिए सप्लायर आइएनआर में भुगतान प्राप्त करने को इच्छुक हों, तो सेज़ यूनित से इस प्रकार प्राप्त की जाने वाली फॉरेन करेन्सी एडी बैंक के स्तर पर (सेज़ तथा डीटिए सप्लायर) के बीच उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के अनुसार आइएनआर में परिवर्तन के जरिए की जा सकती है ।

सभी संबंधितों से इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इयूटी ड्राबैंक अथवा ड्राबैंक स्थान पर इयूटी की प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखें ।

(पी.एस.रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़

सं.सीपज़/न्यू सेज़/पॉलिसी/369/2014-15/17312

02 नवंबर, 2015

प्रति:- 1. सभी सेज़ विकासक (डेवलपर्स) तथा इसमें स्थित सभी यूनित ।

2. विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी ।